ACM आमेर (जु.पुर)

फर्द अहकाम

प्रार्थी बनाम प्यारानी

...ाम न्यायालय

...स संख्या 25/18 अर्जी

...न संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष ...
	13-5-2025	पत्रावली प्रस्तुत। व०कृ०उप०। वादी द्वारा प्रस्तुत मौखिक आपत्ति खारिज की जाती है। तहसीलदार रामपुरा डाबड़ी से प्राप्त कुरैजात रिपोर्ट के आधार पर वाद डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय व डिक्री पृथक से लिखवाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। [signature] सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.06.12 13:15:50 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय :– सहायक कलक्टर आमेर, मुख्यालय जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : सुमन चौधरी
आर.ए.एस.

नियमित वाद संख्या – 25/2018 वाद प्रस्तुति दिनांक – 26.02.2018

पूरण पुत्र श्री बिरधा जाति माली निवासी ग्राम मुरलीपुरा तहसील जयपुर जयपुर।

.... वादी

बनाम

1. ग्यारसीलाल पुत्र स्वर्गीय श्री काना
2. प्रभात पुत्र स्वर्गीय श्री काना
3. गोपाल पुत्र स्वर्गीय श्री काना
4. रमेश पुत्र स्वर्गीय श्री काना
5. फूलचन्द पुत्र स्वर्गीय श्री काना
6. धन्नी पत्नी स्वर्गीय श्री काना
   समस्त जाति जाट निवासी राजावास तहसील आमेर जिला जयपुर।
7. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील आमेर जिला जयपुर।

..........प्रतिवादीगण

वाद बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत – 53, 188 अन्तर्गत अधिनियम राजस्थान काश्तकारी अधिनियम –1955

दिनांक 13.05.2025

हमफिता पत्रावली संख्या 81/2021 बनउनवानी प्रभात बनाम ग्यारसीलाल का निर्णय एकसाथ किया जा रहा है। हस्तगत वाद पत्र में वादी द्वारा अंकित किया गया है कि आराजी वाके ग्राम राजावास गिरदावर हल्का हरमाडा तहसील आमेर जिला जयपुर में स्थित खसरा नम्बर 709/912 रकबा 0.10 हैक्टेयर खसरा नम्बर 710/913 रकबा 0.10 हैक्टेयर खसरा नम्बर 740 रकबा 0.90 हैक्टेयर खसरा नम्बर 742 रकबा 0.25 हैक्टेयर खसरा नम्बर 743 रकबा 0.37 हैक्टेयर खसरा नम्बर 744 रकबा 0.50 हैक्टेयर खसरा नम्बर 745 रकबा 0.01 हैक्टेयर खसरा नम्बर 746 रकबा 1.00 हैक्टेयर कुल किता 8 कुल रकबा 3.23 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 739 रकबा 0.05 हैक्टेयर खसरा नम्बर 741 रकबा 0.04 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.09 हैक्टेयर में स्थित है के 2/3 हिस्से का वादी रिकॉर्डेड खातेदार काबिज काश्तकार है तथा प्रतिवादी संख्या [illegible] का 1/3 हिस्सा निहित है तथा अपने–अपने हिस्सेनुसार काबिज होकर काश्त करते हैं [illegible] आराजी ही विवादित आराजी है। आराजी कृषि भूमि के वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 सहकृषक है तथा उक्त आराजी सहकाश्तकारी की अविभाजित कृषि भूमि है, जिसका आज दिनांक तक मीट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर विभाजन नहीं हुआ है। वादी नजरी नक्शा के अनुसार पीले रंग के हिस्से पर काबिज काश्त ह तथा पीले रंग से दर्शित x मार्क रास्ते का उपयोग–उपभोग कर अपने खेत

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.06.12 13:15:50 IST
Reason: Self Attested

पर आवागमन कर रहा है तथा प्रतिवादी संख्या ता 1 ता 6 हरे रंग के हिस्से पर काबिज काश्त है। वादग्रस्त भूमि के मध्य से कच्ची डोल लगी हुई है। दिनांक 18.02.2018 को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 द्वारा वादी को एलानियां धमकी दी कि वादग्रस्त भूमि का तकासमा कराये बिना ही वादी के हिस्से की भूमि पर पुख्ता डण्डा का निर्माण कर वादी को बेदखल कर वादी के कब्जा काश्त की भूमि पर जबरन कब्जा कर कच्ची डोली को हटाकर पुख्ता डण्डा का निर्माण करेंगे, ऐसा करने का प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। अतः इस प्रकार वादपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ। अतः विधि अनुसार बाई मीटस एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन किया जावे।

वाद प्रस्तुति के उपरान्त प्रकरण नियमानुसार दर्ज पंजिका किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण आदेशित किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 की ओर से जवाब दावा प्राप्त होने के उपरांत तनकीयात् कायत की गई। वादी द्वारा साक्ष्य शपथ पत्र पूरण एवं प्रतिवादी द्वारा साक्ष्य शपथ पत्र ग्यारसीलाल, फुलचन्द पुत्र कानाराम पेश किये गये परन्तु उभयपक्षकारान द्वारा वाद पत्र प्राथमिक डिकी किये जाने के निवेदन के आधार पर उभयपक्ष की बहस सुनकर प्राथमिक डिकी जारी की गई।

तदनुसार तहसीलदार रामपुरा डाबडी को निर्देशित किया गया कि वे राज0 टीनेन्सी (बोर्ड ऑफ रेवेन्यू) रुल्स के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए वाके ग्राम राजावास गिरदावर हल्का हरमाडा तहसील आमेर जिला जयपुर में स्थित खसरा नम्बर 709/912 रकबा 0.10 हैक्टेयर खसरा नम्बर 710/913 रकबा 0.10 हैक्टेयर खसरा नम्बर 740 रकबा 0.90 हैक्टेयर खसरा नम्बर 742 रकबा 0.25 हैक्टेयर खसरा नम्बर 743 रकबा 0.37 हैक्टेयर खसरा नम्बर 744 रकबा 0.50 हैक्टेयर खसरा नम्बर 745 रकबा 0.01 हैक्टेयर खसरा नम्बर 746 रकबा 1.00 हैक्टेयर कुल किता 8 कुल रकबा 3.23 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 739 रकबा 0.05 हैक्टेयर खसरा नम्बर 741 रकबा 0.04 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.09 हैक्टेयर भूमि का बाई मीट्स एंड बाउंड्स के आधार पर तकासमा कर जमाबंदी में अंकित हिस्से अनुसार कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा तीन प्रतियों में भिजवाने हेतू आदेशित किया गया।

तहसीलदार रामपुरा डाबडी ने अपनी रिपोर्ट क्रमांक/भू0अ0/संस्था/2024 /419 दिनांक 14.02.2024 के द्वारा कुर्रेजात प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित किये है। वादी द्वारा आपत्ति पेश करने पर आपत्ति पर [illegible] की गई तथा आपत्ति स्वीकार कर तहसीलदार रामपुरा डाबडी जयपुर को आदेशित किया [illegible] रास्ते का सही तरह से अंकन कर बोर्ड ऑफ रेवेन्यु नियम 18 से 21 की पालना [illegible] कर पुनः कुर्रेजात प्रेषित करे। तहसीलदार रामपुरा डाबडी जयपुर द्वारा पुनः रिपोर्ट क्रमांक [illegible]/कुर्रेजात रिपोर्ट/ 2024/3068 दिनांक 02.09.2024 भेजी गई। जिसमें अंकन किया की मौके पर खसरा नम्बर 751, 752, 753, 754 पर गणेश विहार आवासीय कॉलोनी विकसीत की गई है तथा आराजीयात राजस्व रिकॉर्ड में जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज है उक्त आवासीय कॉलोनी में चालू रास्तो से वादी एवं प्रतिवादीगण अपनी अपनी कृषि भूमि में आवागमन करते है। इस कॉलोनी का रास्ता वादीगण के नाम से दर्ज

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.06.12 13:15:50 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर जयपुर

खसरा नम्बर 751/869 एवं 749/868 भूमि से भी लगा हुआ है जिससे वादीगण अपनी कृषि भूमि एवं मकान पर आते जाते है। प्रतिवादीगण एवं वादीगण दोनो के मौके पर रास्ता मौजूद है जिसके संबंध में नक्शा पेश किया गया। उभयपक्ष की पुनः कुर्रेजात रिपोट/मौका रिपोर्ट पर बहस सुनी गई। चुकी वादीगण की आपत्ति रही है कि वादी की भूमि तक रास्ता नहीं है परन्तु तहसीलदार रामपुरा डाबडी जयपुर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट नक्शे से स्पष्ट है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण को रास्ते की समुचित व्यवस्था की गई है। तथा अब कोई आपत्ति शेष नहीं रह जाती है। प्रस्तुत मौका रिपोर्ट, दस्तावेजात, तर्को, एवं कुर्रेजात के आधार पर वाद डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः तहसीलदार रामपुरा डाबडी से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर वाद पत्र संख्या 25/2018 बउनवानी पूरण बनाम ग्यारसीलाल एवं हमफिता पत्रावली संख्या 81/2021 बउनवानी प्रभात बनाम ग्यारसीलाल को निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है :–

1. पूरण पुत्र बिरदा जाति माली राहिन बीओबी शाखा राजावास, सा. देह खातदेार के हिस्से खसरा नंबर 709/912 रकबा 0.1000 हैक्टेयर, खसरा नंबर 710/913/2 रकबा 0.333 हैक्टेयर, खसरा नंबर 742/2 रकबा 0.2050 हैक्टेयर, खसरा नंबर 743/2 रकबां 0.3250 हैक्टेयर, खसरा नंबर 744 रकबा 0.5000 हैक्टेयर, खसरा नंबर 745 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नंबर 746 रकबा 1. 0000 हैक्टेयर, खसरा नंबर 741 (मकान) रकबा 0.0400 हैक्टयेर कुल किता 8 कुल रकबा 2. 2133 हैक्टेयर भूमि रहेगी।
2. ग्यारसीलाल पुत्र काना हि. 1/6 राहिन आरएमजीबी राजावास, गोपाल पुत्र काना हि. 1/6, धन्नी (फौत) पत्नी काना हि. 1/6, प्रभात पुत्र काना हि. 1/6, फूलचंद पुत्र काना हि. 1/6, रमेश पुत्र काना हि. 1/6 समस्त जातियान् जाट सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 710/913/1 रकबा 0.0667 हैक्टयेर, खसरा नंबर 740 रकबा 0.9000 हैक्टेयर, खसरा नंबर 742/1 रकबा 0.0450 हैक्टेयर, खसरा नंबर 743/1 रकबा 0.0450, खसरा नंबर 739 (मकान) रकबा 0.0500 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 1.1067 हैक्टेयर भूमि रहेगी।

तहसीलदार रामपुरा डाबडी से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट एवं नक्शा निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगे। उभयपक्ष को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे मुताबिक निर्णय अनुसार एक दूसरे के हिस्से में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करेंगे। तहसीलदार रामपुरा डाबडी को निर्णय एवं डिक्री की पालना हेतू तहरीर जारी हो। अन्तिम डिक्री जारी हो। पत्रावली निर्णित ... र ... जाकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.06.12 13:15:50 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

(मोहर: न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर; सत्यमेव जयते)

अन्तिम डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ऑ 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

पीठासीन अधिकारी : सुमन चौधरी
आर.ए.एस

नियमित वाद संख्या – 25/2018 वाद प्रस्तुति दिनांक – 26.02.2018

पूरण पुत्र श्री बिरधा जाति माली निवासी ग्राम मुरलीपुरा तहसील जयपुर जयपुर।

.... वादी

बनाम

1. ग्यारसीलाल पुत्र स्वर्गीय श्री काना
2. प्रभात पुत्र स्वर्गीय श्री काना
3. गोपाल पुत्र स्वर्गीय श्री काना
4. रमेश पुत्र स्वर्गीय श्री काना
5. फूलचन्द पुत्र स्वर्गीय श्री काना
6. धन्नी पत्नी स्वर्गीय श्री काना
समस्त जाति जाट निवासी राजावास तहसील आमेर जिला जयपुर।
7. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील आमेर जिला जयपुर।

..........प्रतिवादीगण

कार्यालय सहायक कलेक्टर आमेर मु. जयपुर

<u>वाद बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत – 53, 188 अन्तर्गत अधिनियम राजस्थान काश्तकारी अधिनियम –1955</u>

तहसीलदार रामपुरा डाबडी से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार वाद पत्र संख्या 25/2018 बउनवानी पूरण बनाम ग्यारसीलाल एवं हमफिता पत्रावली संख्या 81/2021 बउनवानी प्रभात बनाम ग्यारसीलाल को निम्न प्रकार डिक्री किया जाता हैः–

1. पूरण पुत्र बिरदा जाति माली राहिन बीओबी शाखा राजावास, सा. देह खातदेार के हिस्से खसरा नंबर 709/912 रकबा 0.1000 हैक्टेयर, खसरा नंबर 710/913/2 रकबा 0.333 हैक्टेयर, खसरा नंबर 742/2 रकबा 0.2050 हैक्टेयर, खसरा नंबर 743/2 रकबा 0.3250 हैक्टेयर, खसरा नंबर 744 रकबा 0.5000 हैक्टेयर, खसरा नंबर 745 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नंबर 746 रकबा 1.0000 हैक्टेयर, खसरा नंबर 741 (मकान) रकबा [illegible] हैक्टेयर कुल किता 8 कुल रकबा 2.2133 हैक्टेयर भूमि रहेगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.06.12 13:15:50 IST
Reason: SelfAttested

2. ग्यारसीलाल पुत्र काना हि. 1/6 राहिन आराजीबी राजावास, गोपाल पुत्र काना हि. 1/6, धन्नी (फौत) पत्नी काना हि. 1/6 प्रभात पुत्र काना हि. 1/6, फूलचंद पुत्र काना हि. 1/6, रमेश पुत्र काना हि. 1/6 समस्त जातियान् जाट सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 710/913/1 रकबा 0.0667 हैक्टयेर, खसरा नंबर 740 रकबा 0.9000 हैक्टेयर, खसरा नंबर 742/1 रकबा 0.0450 हैक्टेयर, खसरा नंबर 743/1 रकबा 0.0450, खसरा नंबर 739 (मकान) रकबा 0.0500 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 1.1067 हैक्टेयर भूमि रहेगी।

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

प्रकरण संख्या – 25/2018 एवं 81/2021
बउनवानी – पूरण बनाम ग्यारसीलाल वगै0 एवं प्रभात बनाम ग्यारसीलाल
निर्णय दिनांक :–13.05.2025

तहसीलदार रामपुरा डाबडी से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट एवं नक्शा निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगे। उभयपक्ष को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे मुताबिक निर्णय अनुसार एक दूसरे के हिस्से में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करेंगे। तहसीलदार रामपुरा डाबडी को निर्णय एवं डिक्री की पालना हेतू तहरीर जारी हो।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत से आज तारीख 13.05.2025 को जारी किया।

दस्तखत——
ओहदा——

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर जयपुर

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर
सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	–	स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	–
स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये		स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये	
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बबत् इजराय हुक्मानामा	4 रूपये		बबत् इजराय हुक्मानामा	4 रूपये	
मुतफरित			मुतफरित		
मीजान			मीजान		

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.06.12 13:15:50 IST
Reason: SelfAttested